संख्या-27/2018/20/41-2018-40 यो0/13 टी0सी0

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह]
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2018

विषय- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद मथुरा में ऐतिहासिक जलकुण्डों के जीर्णोद्धार की योजनान्तर्गत 10 ऐतिहासिक जल कुण्डों के जीर्णोद्धार की योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6326/6-1-1(405)/2017, दिनांक 04-01-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद मथुरा में तृतीय फेज के अन्तर्गत 10 ऐतिहासिक जलकुण्डों (1) चन्द्र कुण्ड (छाता) (2) बलभद्र कुण्ड (बडी बठैन) (3) कृष्ण कुण्ड (छोटी बठैन) (4) बलभद्र कुण्ड (अडिंग) (5) महदर कुण्ड (गठौली) (6) सखी कुण्ड (सकीतरा) (7) शाही तालाब (दौताना) (8) पय सरोवर (पयगाम) (9) पाण्डव गंगा (बैठन) (10) रत्न कुण्ड (गोवर्धन) के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य की योजना हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त अनुमोदित लागत रू0 1198.40 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-49/2016/371/41-2016-40 यो0/13 टी0सी0 दिनांक 28.03.2016 द्वारा तथा प्रश्नगत योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-123/2016/1962 (1)/41-2016-40 यो0/13 टी0सी0 दिनांक 09.12.2016 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख की प्रदान की गयी वित्तीय स्वीकृति के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपर्युक्त ऐतिहासिक कुण्डों के अवशेष कार्य कराये जाने हेतु तृतीय किश्त के रूप में इस मद में उपलब्ध धनराशि रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(2) स्वीकृत की जा रही तृतीय किश्त की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराये जाने के पूर्व यह पूर्णरूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त का शत प्रतिशत उपयोग करते हुए निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों/गुणवत्ता का पालन सुनिश्चित किया गया है। स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी। परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि से उक्त स्थल को जन उपयोगी बनाया जायेगा तथा इस योजना हेतु अब पृथक से कोई धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।

(4) प्रायोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण कार्य में पर्यावरणीय मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय व्यय करने के पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्यों हेतु पूर्व में प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) योजना का अनुश्रवण महानिदेशक, पर्यटन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(10) प्रश्नगत योजना सम्बन्धी आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

4- उक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-22-मथुरा में प्राचीन काल के 50 ऐतिहासिक जलकुण्डों एवं तालाबों का जीर्णोद्धार-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं

भवदीय,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव ।

संख्या-27/2018/20(1)/41-2018-40 यो0/13 टी0सी0 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
4- जिलाधिकारी, मथुरा।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, मथुरा।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग
10- उप निदेशक, पर्यटन, आगरा।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in